गर्वाइ टिप्पणी, सहित 3

3.11.2021

न्यायालय उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

अनुमति वाद संख्या- 11/2021

मुनेश्वर नायक (विक्रेता)

बनाम्

विन्दू देवी (क्रेता)

आदेश

प्रस्तुत वाद मुनेश्वर नायक पिता-स्व0इन्दर नायक उर्फ इनम नायक, सा0- बालूमाथ, थाना- बालूमाथ, जिला- लातेहार द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46(1) (बी) के अंतर्गत क्रेता विन्दू देवी पति- रामलखन राम, सा0- आरा, थाना- बालूमाथ, जिला- लातेहार के साथ मौजा- बालूमाथ, खाता संख्या-247, प्लॉट संख्या- 2286, रकबा- 0.06 एकड़ भूमि बिक्री हेतु अनुमति के लिए दिये गये आवेदन पर वाद की कार्यवाही प्रारंभ किया गया। अनुमति के लिए विक्रेता द्वारा आवेदन में बिक्री से संबंधित प्रस्तावित भूमि का जाचं प्रतिवेदन की मांग अंचल अधिकारी, बालूमाथ से की गयी।

अंचल अधिकारी, बालूमाथ के पत्रांक- 399 दिनांक 01.12.2020 से अनुमति से संबंधित भूमि का जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसका अवलोकन किया। अंचल अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता घांसी (अनुसूचित जाति) जाति के सदस्य हैं तथा क्रेता चमार (अनुसूचित जाति) दोनो एक हीं जिला क्षेत्र के निवासी हैं। दोनों अनुसूचित जाति दम्पति के उत्पन्न संतान है। आवेदक को अपनी पुत्री की विवाह एवं मकान बनाने के लिए रूपये की सख्त आवश्यकता है, जिसका बन्दोबस्त बिना जमीन बिक्री के हो पाना संभव नहीं है। बिक्री की जानेवाली भूमि विक्रेता का खतियानी भूमि है तथा जमाबन्दी विक्रेता के नाम से चलता है। अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक द्वारा धारित भूमि का रकबा- 2.00 एकड़ है, जिसमें से आवेदक रकबा- 0.06 (शून्य दशमलव शून्य छः) एकड़ भूमि क्रेता विन्दू देवी के साथ बिक्री करना चाहतें है। आवेदक द्वारा अनुमति के लिए प्रस्तावित भूमि के बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास रकबा-1.94 एकड़ भूमि शेष बचता है। अंचल अधिकारी, बालूमथ के प्रतिवेदन के अनुसार अनुमति हेतु प्रस्तावित भूमि विक्रेता का रैयती भूमि है। आवेदक द्वारा बिक्री हेतु अनुमति के लिए प्रस्तावित भूमि का आम इस्तेहार निर्गत किया गया, जिसके विरूद्ध किसी व्यक्ति द्वारा आपत्ति आवेदन नहीं दिया गया है। साथ ही अंचल अधिकारी, बालूमाथ द्वारा जांच प्रतिवेदन में भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए अनुशंसा किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी, बालूमाथ के अनुशंसा के आधार पर विक्रेता मुनेश्वर नायक, पिता- स्व0 इन्दर नायक उर्फ इनम नायक, सा0- बालूमाथ, थाना- बालूमाथ, जिला-लातेहार द्वारा मौजा- बालूमाथ, खाता संख्या-247 प्लॉट संख्या- 2286 रकबा- 0.06 एकड़ भूमि का क्रेता विन्दू देवी पति- रामलखन राम, सा0- आरा, थाना- बालूमाथ, जिला- लातेहार के साथ छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46(1) (बी) के अंतर्गत बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त, लातेहार।

उपायुक्त, लातेहार।

Digitally signed by Abu Imran
Date: 2021.12.18 12:21:56 +05:30
Location: 10.93.47.14

Scanned with CamScanner